<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

अपील डिक्री/टी0ए0/1784/2004/अलवर

1. झड़मल पुत्र चाहत जाति मेव
2. मांगेलाल पुत्र चाहत जाति मेव

समस्त निवासीगण समैला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

अपीलांटस..

बनाम

1. रणमल पुत्र रूपसिंह जाति मेव
2. भूल्लू पुत्र उमराव जाति मेव

समस्त निवासीगण समैला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

रेस्पो0 ....

3. मवासी पुत्र भम्बू जाति मेव निवासी समैला तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर।

तरतीबी रेस्पो0..

<u>खण्डपीठ</u>
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलांटस
अभिभाषक रेस्पो0 अनुपस्थित, एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः13.10.2025

1– यह अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर दिनांक 28–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांटस/वादीगण एवं रेस्पो0 3 ने एक दावा विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ के समक्ष बाबत इश्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी का प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि साबिक खसरा न0 125 मिन जिसके हाल ख0न0 154 रकबा

1.03 बीघा व ख0न0 155 रकबा 1.03 बीघा कायम हुये है। उक्त विवादित आराजी वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण निरंतर काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण के पिता ने दौराने बंदोबस्त राजस्व कर्मचारियों से मिलकर विवादित आराजी का इन्द्राज अपने करवा लिया। प्रतिवादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात विवादित आराजी का नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 1 भूल्लू पुत्र उमराव के नाम तस्दीक हो गया। विवादित आराजी ख0न0 125 मिन का रकबा हाल खसरा नं0 154 व 155 में मिला दिया गया है। जिससे इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गया। इसलिए इस कथन के साथ दावा प्रस्तुत किया कि वादीगण को साबिक ख0न0 125 मिन जिसके हाल ख0न0 154 व 155 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं इन्द्राज दुरूस्त कर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय के समक्ष अपना जवाबदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर पांच तनकीयात विरचित करते हुये दिनांक 30.03.2002 को दावा डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी/रेस्पो01ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की। जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11. 2003 से अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2002 अपास्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस अपील में सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम व रिकार्ड मे विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि विवादित आराजी साबिक ख0न0 125 मिन रकबा 5 बिस्वा भूमि जो अपीलांट/वादीगण की कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि थी, को भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश उक्त रकबे की आराजी 5 बिस्वा भूमि को वर्तमान खसरा नं0 154 व 155 मिला दिया गया। उक्त इन्द्राज विधि विरूद्ध किया गया था जिसे दुरूस्त करने हेतु विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया था परन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध निर्णय से विचारण न्यायालय के निर्णय को निरस्त कर दिया, जो निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने अपनी तनकी संख्या 2 में कथन किया कि पुराना ख0न0 125 व 99 के नये ख0न0 154 व

155 बनाये गये है जबकि अपीलांट/वादीगण का खसरा नं0 99 की आराजी से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट/वादीगण केवल खसरा नं0 125 की आराजी को वर्तमान ख0न0 154 व 154 में मिलाये जाने के कथन के साथ वाद लेकर आये थे जिसे विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने के पश्चात विधिसम्मत निर्णय पारित किया था। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने अपने विधि विरूद्ध निर्णय से उसे अपास्त कर दिया जो निरस्तनीय है। उनका तर्क है कि बंदोबस्त अधिकारियों को पूर्व इन्द्राज को बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता बल्कि पूर्व इन्द्राज की प्रविष्ठियों की ही पुर्नवृति करनी होती है। साबिक ख0न0 125 की आराजी को रेस्पो0 1 व 2 के खसरा नं0 154 व 155 में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली व उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अध्ययन किया गया।

6– पत्रावली व रिकार्ड का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि जमाबंदी संवत 2020 (प्रदर्श–5) में ख0न0 125 रकबा 5 बिस्वा भूमि भम्बू पुत्र छोटा मेव खातेदार मारफत चाहत मवासी पि.खुद दर्ज रिकार्ड है। नकल मिलान क्षेत्रफल (प्रदर्श–3) में साबिक ख0न0 125 मिन रकबा 03–03 बिस्वा भूमि का हाल ख0न0 154 व 155 मिलना स्पष्ट होता है। इस प्रकार विवादित आराजी ख0न0 125 रकबा 5 बिस्वा भूमि अपीलांट्स/वादीगण के दादा तथा वादी संख्या 3/तरतीबी रेस्पो0 3 मवासी के पिता भम्बू की खातेदारी आराजी थी जो नकल जमाबंदी संवत 2020 से स्पष्टतः प्रमाणित व सिद्व होती है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट्स/वादीगण का कब्जा संवत 2020 से निरंतर चला आ रहा है एवं अपीलांट्स/वादीगण विवादित आराजी रिकाडेर्ड काश्तकार खातेदार है। रेस्पो0/ प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि भू प्रबन्ध से पूर्व विवादित आराजी पर रेस्पो0/प्रतिवादीगण या उनके पूर्वजों का कब्जा काश्त रहा हो। मिलान क्षेत्रफल से यह स्पष्ट होता है कि गत ख0न0 125 मिन का रकबा 03 बिस्वा ख0न0 154 में व 03 बिस्वा ख0न0 155 मिलाया गया गया है। नकल जमाबंदी संवत 2028 (प्रदर्श–4) में ख0न0 154 रकबा 1.03 बीघा व 155 रकबा 1.03 बीघा रेस्पो0/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। इस प्रकार गत ख0न0 125 मिन रकबा 5 बिस्वा भूमि जो वादीगण/अपीलांट्स के पूर्वज भम्बू की खातेदारी की थी भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों द्वारा रेस्पो0/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दी

गयी। भू प्रबन्ध विभाग को खातेदारी अधिकारों से संबंधित इन्द्राजात को परिर्वतन करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। भू प्रबन्ध विभाग को केवल मात्र पूर्व इन्द्राज की प्रविष्ठियों की ही पुर्नवृति करनी होती है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया इन्द्राज नियम विरूद्व था जिसे दुरूस्त किया जाना विधिसम्मत था। यहां यह प्रश्न भी विचारणीय था कि अपीलांटस/वादीगण का विवादित रकबा 5 बिस्वा ख0न0 154 व 155 में कहा स्थित है। इस संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा निमयानुसार मौका कमिश्नर रिपोर्ट मंगवायी जाकर मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर उक्त रकबे को ख0न0 154 व 155 के उत्तर –पूर्व दिशा में स्थित माना है और इसी अनुसार उन्हें खातेदार काश्तकार घोषित किया है। विचारण न्यायालय ने संपूर्ण राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करते हुये प्रकरण में विवाद्यक विरचित कर प्रत्येक विवाद्यक पर अपना स्पष्ट मत व्यक्त करते हुये निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्य संबंधी त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

8. परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2002 बहाल रखा जाता है तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकरी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11. 2003 अपास्त किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य